



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD
(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)
केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala
बेंगलूरु Bangalore - 560068

No. CSB-6(944)/16/PEN

Date: 31.08.2018

CIRCULAR

Sub: Implementation of 7th CPC to Pensioners/Family pensioners – Revision of pension - enhancement of Fixed Medical Allowances – reg.

It is brought to the notice of all the Pensioners/Family Pensioners of Central Silk Board that vide Ministry of Personnel OM No. 4/34/2017-P&PW (D) dated 19.07.2017, the Fixed Medical Allowance had been enhanced from Rs.500.00 to Rs.1000.00 per month to all the pensioners/family pensioners with effect from 01.07.2017. However, MOT vide its letter No. 25011/3/2017-silk dated 09.07.2018 had conveyed its approval for the implementation of said OM dt.19.07.2017 to the Pensioners/Family Pensioner of CSB. Consequently, the enhanced Fixed Medical Allowances of Rs.1000.00 will be paid along with the Pension/Family Pension. Instructions to the effect had already been given to the Central Bank of India.

The work of revision of pension w.e.f 01.01.2016 in accordance with the 7th CPC is in full swing and the Pension Payment Order (PPO) (three copies) are being sent in batches to the Pensioners/ Family pensioners with a request to check the same and send back the two copies of the PPO to the Central Office, CSB, Bangalore after filling the required details. It is impressed upon the Pensioners/Family Pensioners to return the two copies of the PPOs to Central Office, Bangalore within the time prescribed thereon after completing the said formalities. Only on receipt of PPOs the Bank will be intimated for revising the Pension.

[R.SATHISH KUMAR]
DIRECTOR (FINANCE)

For information to
All pensioners/Family pensioners of
Central Silk Board.



केन्द्रीय रेशम बोर्ड CENTRAL SILK BOARD

(वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार Ministry of Textiles - Govt. of India)

केरेबो कॉम्प्लेक्स, बी टी एम लेआउट, मडिवाला
CSB Complex, BTM Layout, Madiwala
बेंगलूरु Bengaluru- 560 068

सं.केरेबो-4/(944)/16/पेंशन

दिनांक : 31.08.2018

परिपत्र

विषय : पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग का कार्यान्वयन - पेंशन में संशोधन - निश्चित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि के संबंध में ।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सभी पेंशनरों / परिवार पेंशनरों के ध्यान में लाया जाता है कि कार्मिक मंत्रालय के दिनांक 19.07.2017 के पत्र संख्या 4/34/2017-पी एंड पीडब्लू (डी) के माध्यम से सभी पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों के लिए निश्चित चिकित्सा भत्ता दिनांक 01.07.2017 से रु. 500/- प्रति माह से रु. 1000/- प्रति माह तक बढ़ाया गया है । तथापि वस्त्र मंत्रालय ने दिनांक 09.07.2018 के अपने पत्र संख्या 25011/3/2017-रेशम के माध्यम से केरेबो के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों के लिए का जा. दि.19.07.2017 के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदन संप्रेषित किया है । परिणामतः रु. 1000/- के बढ़ाए गए निश्चित चिकित्सा भत्ते को भुगतान पेंशन/परिवार पेंशन के साथ भुगतान किया जाएगा। इस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को इसके संबंध में पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं ।

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार दिनांक 01.01.2016 से पेंशन में संशोधन का कार्य तेजी से चल रहा है और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) (तीन प्रतियां) पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को बैंक में भेजी जा रही हैं ताकि वे जांच कर सकें और आवश्यक सूचना भरने के बाद केन्द्रीय कार्यालय, केरेबो, बेंगलूरु को पीपीओ की दो प्रतियां वापस भेजें । पेंशनरों/परिवार पेंशनरों से आशा की जाती है कि वे उक्त सभी औपचारिकताएं पूरा करने के बाद पीपीओ की दो प्रतियां निर्धारित समय के अंदर केन्द्रीय कार्यालय, बेंगलूरु को वापस भेजें । पीपीओ की प्राप्ति पर ही बैंक को पेंशन में संशोधन के लिए सूचित किया जाएगा।

[आर. सतीश कुमार]

निदेशक (वित्त)

सूचनार्थ: प्रेषित :

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के

सभी पेंशनर/परिवार पेंशनर